उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
सचिवालय परिसर, देहरादून
संख्या – 307/USDMA-792 (2019)
देहरादूनःदिनांक 27 मार्च, 2020

कार्यालय आदेश

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) को महामारी घोषित किये जाने तथा देश में उक्त के संक्रमण के दृष्टिगत गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण को अधिसूचित आपदाओं की सूची में सम्मिलित किया गया है। तद्पोरान्त गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा देश में कोरोना वायरस संक्रमण को नियंत्रित किये जाने के उद्देश्य से दिनांक 14 अप्रैल, 2020 की मध्य रात्रि तक 21 दिवसीय तालाबन्दी किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

लॉकडाउन की घोषणा परिणामस्वरूप देश के विभिन्न राज्यों में एवं उत्तराखण्ड़ के विभिन्न जनपदों में भी कई लोग फॅसे हुये है, जो वापस अपने मूल–निवासों की ओर प्रस्थान करना चाहते है। उक्त फॅसे हुये यात्रियों की सुविधा एवं विभिन्न राज्यों से सम्न्वय के लिये आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा–24 के बिन्दु संख्या–12 के अन्तर्गत श्री शैलेश बगोली, सचिव, शहरी विकास व परिवहन, उत्तराखण्ड शासन को राज्य नोडल अधिकारी नामित किया जाता है।

(उत्पल कुमार सिंह)
मुख्य सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सम्बन्धित नोडल अधिकारी।
2. सम्बन्धित पत्रावली।

(उत्पल कुमार सिंह)
मुख्य सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी